

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सरगुजा (छ0ग0)

फोन एवं फैक्स नं0 07774-224332, ई-मेल: mining.surguja@gmail.com

क्रमांक/1252/खनिज/खलि.4/डीएमएफ/17, अम्बिकापुर, दिनांक/02/03/2018
04
संशोधित विज्ञापन

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि- 16/04/2018

छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 7-34/2016/XII/ नया रायपुर दिनांक 11 जुलाई 2017 के द्वारा दिए गए निर्देशों एवं पद संरचना के स्वीकृति के आधार पर जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत विकास सहायक(संविदा) एवं सहायक ग्रेड-3 (संविदा) हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। छ0ग0 शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 7-34/2016/XII/(क) नया रायपुर दिनांक 27.01.2018 द्वारा नियम में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप पुनः जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु छ0ग0 राज्य के मूलनिवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

विज्ञापित पदों का विवरण

क्र.	स्वीकृत पद का नाम	मासिक वेतन	संविदा	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों का वर्गवार विवरण				
					अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा	योग
1	विकास सहायक (संविदा)	75000/- प्रतिमाह (निश्चित वेतन)		01	01	-	-	-	01
2	सहायक ग्रेड-3 (संविदा)	5200-20200+1900		01	01	-	-	-	01
3	भृत्य (संविदा)	4750-7440+1300		01	01	-	-	-	01
			योग	03	03	-	-	-	03

नोट :-

1. महिलाओं का शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत समस्तरीय एवं प्रवर्गवार आरक्षण दिया जावेगा।
2. विकलांगों को शासन के नियमानुसार 6 प्रतिशत समस्तरीय आरक्षण दिया जावेगा।
3. भूतपूर्व सैनिकों को शासन के नियमानुसार 10 प्रतिशत समस्तरीय आरक्षण दिया जावेगा।
4. अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा।
5. आरक्षण की गणना अ.जा/अ.ज.जा संवर्ग के लिए बैकलॉग रिक्त पद समाहित कर ली गई है।

आयु सीमा :-

" छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012" के अनुसार पद क्रमांक 2 एवं 3 हेतु दिनांक 01.01.2018 को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए तथा पद क्रमांक 1 हेतु दिनांक 01.01.2018 को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष होनी चाहिए। छ0ग0 शासन के नियमानुसार/निर्देशानुसार आयु सीमा में छूट मान्य होगी।

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-


1. विकास सहायक (संविदा) -- 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा समतुल्य ग्रेड के साथ उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रबंधन (Management) में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा। 2. Prime Minister Rural Development Fellows Scheme (PMRDF) में Fellow के रूप में कार्य करने अथवा किसी समान पद पर 02 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य। 3. निर्धारित अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी के नाम पर सर्वप्रथम विचार किया जायेगा। 4. निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है, तो आवश्यक होने पर विकल्प के रूप में निम्नलिखित अर्हताधारी अभ्यर्थी के नाम पर विचार किया जायेगा। "प्रबंधन स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा के साथ शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय संस्थान में पी.एम.आर.डी.एफ. (Prime Minister Rural Development Fellow) के समतुल्य अथवा संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।"

2. सहायक ग्रेड-3 (संविदा) - 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग का 5000 की(key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र अनिवार्य।

3. भृत्य (संविदा) - मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण।

आवेदन की शर्त :-

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में करना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त न होने पर उसे अमान्य किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सरगुजा छ0ग0 के सूचना पटल पर एवं जिले के वेबसाईट www.surguja.gov.in में भी अवलोकन किया जा सकता है।
2. निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छान-बीन उपरांत अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सरगुजा छ0ग0 के सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा।
3. चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उसके आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
4. विज्ञप्ति अनुसार पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तदनुसार नियुक्ति में आरक्षण का पालन किया जायेगा। विज्ञापित पदों में नियुक्ति आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के विवेकाधीन होगी।
5. आवेदन पत्र दिनांक ~~16/04/2018~~ को सायं 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सरगुजा छ0ग0 के नाम से भेज सकते हैं। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज स्वप्रमाणित होने चाहिए।
6. उपरोक्तानुसार एकमुश्त एकजाई वेतन देय होगा। इस वेतन पर विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जावेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
7. शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर मासिक संविदा वेतन देय होगा।
8. यह नियुक्ति तीन वर्षों के लिए होगी। प्रदर्शन के आधार पर संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप नियुक्ति किया जावेगा।
9. शासकीय/अर्द्धशासकीय (कार्यालय/संस्था) में कार्यरत कर्मचारी अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करेंगे। नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। शासकीय तथा शासन से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था/निकाय से बर्खास्त/पदच्युत आवेदक नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे।
10. रोजगार कार्यालय की जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करें तथा प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।
11. विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारण न करने वाले अभ्यर्थी आवेदन न करें।
12. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं निर्देश के अधीन ही नियुक्ति होगी।


कलेक्टर/सह अध्यक्ष
जिला खनिज संस्थान न्यास
जिला सरगुजा (छ0ग0)

11. अनुभव संस्था का नाम पद का नाम

अनुभव की अवधि	
अनुभव का कार्यक्षेत्र	

(अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

12. विशेष योग्यता :- 1.

2.

13. निवासी :-

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

14. रोजगार कार्यालय का नाम एवं

जीवित पंजीयन क्रमांक

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

नाम

// घोषणा //

मैं घोषण करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी जानकारी मेरे विवेक से पूर्णतः सत्य है। इसमें कोई जानकारी गलत/असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में नियुक्तकर्ता अधिकारी को बिना बताये मेरे आवेदन/चयन/नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।

स्थान:-

दिनांक:-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

नाम

संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की सूची :-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.